

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक-सी०-141/बा०वि०परि०/पो० एवं स्वा०/2021-22

दिनांक-18 फरवरी, 2022

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभासी,
उत्तर प्रदेश।

विषय: आंगनवाड़ी केन्द्रों की आवश्यक सेवाओं के पुनः प्रारम्भ के संबंध में।

जैसा कि आप अवगत हैं कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए बच्चों की सुरक्षा हेतु सर्तकता बरतते हुए आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन पिछले कई माह से बन्द चल रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के समस्त प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए प्राथमिक विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। शासनादेश संख्या-237/2022-सी०एक्स०-3 दिनांक 11.02.2022 के आलोक में शासन के File No.54-2013/60/2019-2-1/141623/2022 दिनांक 18.02.2022 के अनुपालन में आंगनवाड़ी केन्द्रों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दिनांक 21.02.2022 से खोले जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। निर्धारित तिथि से समस्त आयु वर्ग के लाभार्थी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उपस्थित होंगे। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में ही दिये जा चुके हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन दिनांक 21.02.2022 से आरम्भ कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक-यथोक्त।


(मो० ज़फर खॉं)
उप निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या / तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य पोषण मिशन, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।


(मो० ज़फर खॉं)
उप निदेशक।